उच्च शिक्षा का परिदृश्य

बृजेश कुमार पांडेय*

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से क्या अपेक्षा है, उनके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हों? इस संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा था कि विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, विवेक, मौलिक चितंन एवं सत्य की खोज के प्रतीक होते हैं। विश्वविद्यालय के तीन कार्य निर्धारित किए गए हैं –पहला कार्य पढ़ना और पढ़ाना, दूसरा कार्य शोध कार्य तथा तीसरा कार्य विस्तार का, निर्धारित किया गया। इन्हीं कार्यों को दृष्टि में रखते हुए और समाज के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय शिक्षा के तीन उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य, दूसरा राजनीतिक विकास का उद्देश्य तथा तीसरा राष्ट्रीय चेतना के विकास का उद्देश्य तय किए गए। आर्थिक विकास का उद्देश्य इन तीनों उद्देश्यों का प्रतिफल है। बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में वैश्वीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1991 में देश में उदारीकरण की प्रकिया के प्रारंभ से उच्च शिक्षा पर इसका सीधा प्रभाव परिलक्षित होने लगा। सन् 1992 में केंद्र सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री के. पुनैया की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया । इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय को आर्थिक संकट के हल से वैकल्पिक संस्थानों की उगाही के संबंध में सुझाव देने को कहा गया। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए देश में कई आयोग बनाए गए, लेकिन आयोगों की महत्वपूर्ण संस्तुतियों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। अगर इन संस्तुतियों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हुआ होता तो आज समस्याएँ कम से कम दिखाई पड़तीं और उच्च शिक्षा का संकट न्यून होता।

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, शिक्षाशास्त्र विभाग, संत विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया, उत्तर प्रदेश

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों की आज़माइश कोई नई बात नहीं है। जैसे कभी दो वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हुआ करता था तो एक नए प्रयोग के अंतर्गत उसे तीन वर्ष कर दिया गया। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने चार वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम कर दिया। पुनः उसे तीन वर्ष कर दिया गया। पहले बी.एड. का पाठ्यक्रम एक वर्ष का हुआ करता था अब उसे दो वर्ष का पाठ्यक्रम कर दिया गया। पहले सात प्रश्न पत्र होते थे और अब आठ प्रश्न पत्र कर दिए गए। कहीं सेमेस्टर प्रणाली तो कहीं वार्षिक परीक्षा प्रणाली की गई। इन सभी प्रयोगों से क्या परिणाम प्राप्त किए जा सके? मात्र इतना कि डिग्री पाने हेतु छात्रों पर एक वर्ष का और समय व अभिभावकों पर आर्थिक बोझ आ पड़ा। इसके अलावा इस प्रयोग से डिग्री धारकों की बाढ़ एक वर्ष के लिए और थम गई। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इन सभी प्रयोगों को किया गया। जबकि हुआ इसके विपरीत, उसमें एक भी प्रतिशत का सुधार नहीं हुआ। प्रस्तुत लेख इन्हीं सवालों के खोज की परिणति है। शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन आता रहा है लेकिन फिर भी उससे संबद्ध कुछ ऐसे पहलू हैं जो शाश्वत हैं। इनमें से एक पहलू है अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास। शिक्षा की बदलती अवधारणा के अंतर्गत यह स्पष्ट होता है कि पहले शिक्षा – 'दो ध्रुवीय प्रक्रिया' थी जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी होते थे। फिर यह 'त्रिध्रुवीय प्रक्रिया' हो गई जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम को शामिल किया गया। वर्तमान में शिक्षा पंचकोणीय हो गई है जिसमें विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रबंधक तथा सरकारी तंत्र शामिल हैं। सरकारी तंत्र इस सभी से ऊपर है। सामाजिक वातावरण, जिसे राजनीतिज्ञों समेत सभी ने मिलकर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में सतत प्रयत्नशील है।

देश में उच्च शिक्षा का आरंभ हम 1857 से मान सकते हैं। उसी वर्ष तीन विश्वविद्यालय– मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में स्थापित हुए थे। देश की आज़ादी के समय मात्र 19 विश्वविद्यालय थे। आज 659 से अधिक विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान हैं। डिग्री डिप्लोमा के 45000 शिक्षण संस्थान हैं। महाविद्यालयों की संख्या 35 हज़ार से अधिक पहुँच गई। छात्रों की संख्या एक करोड़ से भी अधिक हो सकती है। हमारा उच्च शिक्षा तंत्र एक ऐसा जलपोत बन चुका है जो अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक यात्रियों को ढो रहा है, जो यह नहीं जानते हैं कि किसको कहाँ जाना है। विकसित देशों में 40 प्रतिशत जनता को उच्च शिक्षा का लाभ उपलब्ध है जबकि हम 6 प्रतिशत को ही यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं। परंतु इससे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो उच्च शिक्षा हम दे रहे हैं वह 80 प्रतिशत व्यक्तियों के काम की नहीं है। 18-25 आयु वर्ग के 7 प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में जे. पी. नायक ने *न्यूफ्रंटीयर्स इन एजुकेशन* (अप्रैल-जुलाई 1972) में अपने एक लेख में कहा था कि स्नातक स्तर के कॉलेजों का स्तर इतना गिर गया है कि अब और

नीचे गिरने हेतु स्तर बचा ही नहीं है। अभिभावक ठगे जा रहे हैं क्योंकि जिसे हम उच्च शिक्षा का दर्जा देते हैं, वह वैसा है ही नहीं। डॉ. के. एल. जोशी ने 9 सितंबर 1978 के *हिंदुस्तान टाइम्स* में अपने एक लेख "रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ एजुकेशन" में कहा कि उच्च शिक्षा का स्तर बड़ी द्रुत गति से गिरता जा रहा है। जे. डी. सेठी ने अपनी पुस्तक *क्राइसिस एंड कोलैप्स ऑफ़ हायर एजुकेशन इन इंडिया,* जो 1983 में प्रकाशित हुई थी, में देश के अनेक विश्वविद्यालयों से साक्ष्य लेकर जग ज़ाहिर किया कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई-लिखाई का माहौल खत्म हो चुका है, हमारे विश्वविद्यालय केवल अव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं राजनीति के अड्डे बनकर रह गए। यह सर्वमान्य सत्य है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती जा रही है। सरदार बल्लभ भाई पटेल 'स्वराज्य' के बाद अपने भाषण में यही कहते रहते थे कि आज का किताबी शिक्षण बिल्कुल निकम्मा है। इतना ही नहीं बल्कि हानिकारक भी है। जिसके हाथों में राष्ट्र हो वही नेता जब यह बोलता है तो सहज ही कोई पूछेगा कि अगर आपके मत में प्रचलित शिक्षण पद्धति इतनी रद्दी है तो आप उसे बदल क्यों नहीं देते हैं। हम सब लोग ऐसे जाल में फँसे हैं कि अब उसमें से निकलना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी शिकायत करनी पड़ी कि काँग्रेस ने दो गलतियाँ कीं। एक नौकरशाही पर विश्वास रखा, और दूसरा शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं किया। शिक्षा पर सरकार का कोई वरदहस्त नहीं होना चाहिए। छात्रों एवं अध्यापकों की योग्यता का स्तर गिर रहा है। कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, कुछ पढ़ाएँ और कुछ सिखाएँ ऐसी लगन एवं ऐसी भावना किसी में नहीं रही है।

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से क्या अपेक्षा है, उनके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हों? इस संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा था कि विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, विवेक, मौलिक चितंन एवं सत्य की खोज के प्रतीक होते हैं। उनका ध्येय मानव जाति के लक्ष्यों को सही दिशा में अग्रसर करना है।

विश्वविद्यालय के तीन कार्य निर्धारित किए गए हैं – पहला कार्य पढ़ना और पढ़ाना तथा दूसरा कार्य शोध कार्य, तथा तीसरा कार्य विस्तार का, निर्धारित किया गया। इन्हीं कार्यों को दृष्टि में रखते हुए और समाज के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय शिक्षा के तीन उद्देश्य बताए गए। पहला उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य, दूसरा राजनीतिक विकास का उद्देश्य तथा तीसरा राष्ट्रीय चेतना का विकास के उद्देश्य तय किए गए। आर्थिक विकास का उद्देश्य इन तीनों उद्देश्यों का प्रतिफल है। प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1986) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक रोग जो घुन की तरह शिक्षा तंत्र को खाए जा रहा है, वह है देश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता केंद्रों का अवाँछनीय हस्तक्षेप। शिक्षा में राजनीति के घुसपैठ के अनेक उदाहरण हैं। बिहार में 1972-85 के बीच चार बार एक साथ सभी कुलपतियों को हटाया गया। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय राज्य सरकार के शिकंजे में तब आए

जब विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त करके 1973 का विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। उच्च शिक्षा की एक टाँग टूट गई। जब-जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों, तथा रजिस्ट्रार, उपकुलपति, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सरकारीकरण करके उसे स्थानांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कर दिया गया है। हमारे मंत्रियों को यह सहन नहीं हो सका कि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय के हाथ में रहें। उनकी नियुक्तियों का भी सरकारीकरण कर दिया गया। शिक्षा सरकारी तंत्र से मुक्त होनी चाहिए। शिक्षा में सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो। शिक्षकों का वेतन सरकार अवश्य दे परंतु जैसे न्याय विभाग स्वतंत्र हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ़ भी फ़ैसले दिए जा सकते हैं और दिए भी गए, वैसे ही शिक्षा विभाग भी सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए।

आजकल प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की कल्पनाएँ परीक्षा से जोड़ दी गई हैं। शिक्षा जीवन से अलग करके नहीं दी जा सकती है। जीवन से उसकी शुरुआत होती है तथा जीवन जीते हुए ही वह प्राप्त की जा सकती है। शारीरिक विकास के साथ बुद्धि विकास ही प्राथमिक शिक्षा है तथा शरीर धारण के साथ बुद्धि विकास माध्यमिक शिक्षा है और विवेक वैराग्य से शरीर और बुद्धि को अलग कर शरीर का निरपेक्ष विकास, यही उच्च शिक्षा है। विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की जानी भी स्वाभाविक एवं वांछनीय है कि वे देश में ऐसे जनमानस का विकास करें जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, ऐसे नागरिक तैयार करें जिनका लोकतंत्र में अटूट विश्वास हो तथा जिनमें अटूट आत्मविश्वास हो जो बटी-बिखरी जनता को एक जुट करके एक सूत्र में बाँध सकें। वे भारत की जनता को बूँद-बूँद की तरह नहीं बल्कि धारा की तरह जीना सिखा सकें। उनकी शिक्षा इंसान को बदलने का सशक्त माध्यम बने। ऐसी अपेक्षा विश्वविद्यालयों से की जानी चाहिए।

बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में थिंक ग्लोबली – एक्ट ग्लोबली (Think globally- act locally) का नारा वैश्वीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1991 में देश में उदारीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ से उच्च शिक्षा पर इसका सीधा प्रभाव परिलक्षित होने लगा। सन् 1991 में विश्व बैंक एवं मुद्रा कोष के दबाव में उदारीकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि उच्च शिक्षा को विश्व बैंक के सुझावों के अनुरूप ढाला जाएगा। ठीक उसी समय खाड़ी संकट के बहाने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के बजट में 35 प्रतिशत की कटौती कर दी गई और विश्वविद्यालयों को यह निर्देश जारी किए गए कि वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ और अपने संसाधन स्वयं जुटाएँ क्योंकि आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार को अब उच्च शिक्षा का खर्च उठाना संभव नहीं है। सन् 1992 में केंद्र सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री के. पुनैया की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय को आर्थिक संकट के हल से वैकल्पिक संस्थानों की उगाही के संबंध में सुझाव देना था। इस समिति की रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के निजीकरण करने की बात

कही गई। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को स्वीकार करने के बाद भारत की नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि के निर्देशन में तैयार होने लगीं। सामाजिक क्षेत्र में निवेश को कम करने, अनुदान खत्म करने तथा सामाजिक सेवाओं के निजी क्षेत्र में राज्य सरकारें एक-दूसरे से होड़ में लगी हुई हैं। उच्च शिक्षा के निजीकरण पर उद्योगपति मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिड़ला के नेतृत्व में " ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फ़ॉर रिमार्क्स इन एजुकेशन" के नाम से तैयार अंबानी-बिड़ला रिपोर्ट 24 अप्रैल 2000 को प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद् को सौंपी गई। रिपोर्ट में सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र से धीरे-धीरे हटने को कहा गया तथा उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया कि सरकार इन सुझावों को अमल करना प्रारंभ करे। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम चलाने की मान्यता तुरंत दी जाए। यह रिपोर्ट वर्ष 2015 तक भारत की शैक्षिक आवश्यकता है। वर्ष 2015 तक देश की जनसंख्या 125 करोड़ हो जाएगी। जिससे 5 से 24 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या 45 करोड़ होगी। इनमें से 5 से 19 आयु वर्ग के लगभग 34 करोड़ लोगों के लिए कक्षा 12 तक की शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। शेष 11 करोड़ लोगों में से 20 प्रतिशत 2.2 करोड़ योग्य लोगों के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए अतिरिक्त 27471 कॉलेज और विश्वविद्यालय पर लगातार वार्षिक तौर पर 42 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे जो कि सरकार के लिए कठिन कार्य है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को बढ़ते क्रम में वित्तीय समर्थन देने में वित्तीय कटौती करनी चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका अनुदान देने की नहीं होनी चाहिए तथा उच्च शिक्षा के निजीकरण की बात कही गई। निजी विश्वविद्यालय खोले जाने हेतु एक निजी विश्वविद्यालय विधेयक बनाने की अनुशंसा की गई।

दिल्ली विश्वविद्यालय में फ़ीस ढाँचे की समीक्षा और सुधार के संबंध में आनंद कृष्णन समिति बनाई गई तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय में फ़ीस ढाँचे की समीक्षा और सुधारने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित महमूद रहमान समिति का गठन किया गया। इन समितियों की रिपोर्ट के बाद फ़ीस में कई गुना की वृद्धि की गई। अब उच्च शिक्षा वही ग्रहण कर पाएगा जिसकी पॉकेट में पैसा होगा। भारत में सबको निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने में तमाम मुश्किलें आ रही हैं। वहाँ सबको अच्छी उच्च शिक्षा मुहैया करना एक खयाली पुलाव जैसा दिखता है। अभी दो करोड़ युवा ही उच्च शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। वर्ष 2020 तक 4 करोड़ युवाओं को उच्च शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है तथा वर्ष 2030 तक 10 करोड़ युवाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, नहीं तो सर्वाधिक युवा राष्ट्र भारत नहीं बन सकता है। वर्ष 2030 तक सबको उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत सबको शिक्षा उपलब्ध कराना लगभग असंभव-सा दिख रहा है। देश में उच्च शिक्षा में पढ़ने वालों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की दो नई योजनाएँ तैयार की हैं। पहली योजना

के तहत राज्यों में स्थित प्रतिष्ठित कॉलेजों को केंद्र सरकार विश्वविद्यालय बनाएगी। दूसरी योजना में राज्यों के तहत एक ही क्षेत्र में स्थित कॉलेजों का समूह बनाकर उन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत राज्यों से इस बाबत प्रस्ताव माँगे हैं। तथा अगले दो वर्षों के दौरान 45 कॉलेजों को विश्वविद्यालय बनाने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार राज्यों में एक ही क्षेत्र में स्थित कॉलेजों के समूह बनाकर भी उन्हें विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। इस योजना के तहत 35 नए विश्वविद्यालय सृजित होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार अभी तक 16 स्वायत्त कॉलेजों को विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें पश्चिम बंगाल स्थित सेंट ज़ेवियर और रामकृष्ण मिशन भी शामिल हैं। अलग-अलग राज्यों से क्लस्टर कॉलेज योजना के तहत 30 विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव मिले हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार 46 प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द उन्हें मंज़ूरी प्रदान की जाएगी। मंज़ूरी मिलने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन्हें अपग्रेड करने के लिए 55 करोड़ रुपये प्रति विश्वविद्यालय सहायता देगा। सरकार दोनों योजनाओं के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक 80 विश्वविद्यालय राज्यों में सृजित करना चाहती है। इससे विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी।

वर्तमान में देश में 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय (15.01.2016) हैं। जबकि 228 निजी विश्वविद्यालय (14.01.16) हैं। इसके अतिरिक्त 125 डीम्ड यूनिवर्सिटी (15.01.16) हैं। 36 हज़ार के लगभग कॉलेज और 12 हज़ार के लगभग पेशेवर कॉलेज देश में हैं। देश के 86 प्रतिशत छात्र स्नातक कोर्स कर रहे हैं जबकि 12 प्रतिशत छात्र स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 1 प्रतिशत छात्र शोध कार्य कर रहे हैं। 2.25 करोड़ छात्र देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे अनेक इनोवेटिव मॉडल उभरकर आए जो उच्च शिक्षा में एक नई क्रांति के दस्तक माने जा रहे हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (O.E.R.) जिसके तहत, शिक्षण, शोध और पढ़ाई की सामग्री, जैसे – पाठ्यक्रम मॉड्यूल, शोध लेख, वीडियो, प्रश्न पत्र, सॉफ़्टवेयर आदि ओपन डोमेन में रख दिया जाता है जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति निःशुल्क कर सकता है। मूक्स (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज) – यह ओईआर का आधुनिक रूप है। ओईआर की लोकप्रियता का मुख्य कारण अध्ययन-अध्यापन में उच्च क्वालिटी की उच्च शिक्षा में बढ़ती माँग है जिसके लिए ऊँची फ़ीस चुकाना सबके बस की बात नहीं है। हमारें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पहले फ़ैकल्टी, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, हॉस्टल, इंटरनेट आदि की समुचित व्यवस्था हो तभी हम ओईआर तथा मूक्स जैसे क्रांतिकारी माध्यमों को अपना सकते हैं। कॉलेजों में न कमरे हैं, न फ़र्नीचर और न ही शिक्षक, फिर भी कक्षाएँ चल रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता की बात आती है तो सारा दोष शिक्षकों के मत्थे मढ़ दिया जाता है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण होने के

साथ अन्यायपूर्ण भी है। शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात बुरी तरह बिगड़ चुका है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के अभाव के कारण विद्यार्थियों का बढ़ता सैलाब, विद्यार्थियों का कक्षा में न आना, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, प्रबंधक की दखलनदाज़ी आदि कारण हैं। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत बहुत पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने में अभी तक उच्च शिक्षा व्यवस्था को कोई सफ़लता नहीं मिल सकी है।

शिक्षक सत्ता के पीछे न भागकर स्वयं अपनी शक्ति का विश्वास करें। पहले गुरु हुआ करते थे फिर गुरु से शिक्षक बना तथा उसके बाद टीचर हुआ और अब वह फ़ेसिलिटेटर की भूमिका अदा कर रहा है। शिक्षक को यह न भूलना होगा कि जिस विषय को हम पढ़ाने अथवा सुनाने जाते हैं, वह सामग्री तो अन्यत्र भी उपलब्ध है। बच्चे तभी पढ़ते या सुनते हैं जब वे चाहते हैं। इसी चाहत को बनाने का साधन बताना होगा। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के फलस्वरूप उदारीकरण और निजीकरण के इस विश्वव्यापी दौर में शिक्षा एक उद्योग के रूप में (Education as an industry) विकसित हो चुकी है। शैक्षिक उपादान तथा सुविधाएँ क्रय तथा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के रूप में उपलब्ध हैं। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु अति उच्च विशिष्टता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति, योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश, शोधोन्मुखी पाठ्यक्रम, उन्नत पुस्तकालय, आधुनिक संप्रेषण तकनीकों आदि का उपयोग करना होगा। आज के इस युग में शिक्षा व्यापार की वस्तु बन गई है। शिक्षार्थी क्रेता के रूप में और शिक्षक विक्रेता के रूप में हैं। उच्च शिक्षण संस्थान उद्योग बनते जा रहे हैं। आज मानवीय मूल्यों का संकट बढ़ा है तथा शिक्षण एवं शोध का स्तर गिरा है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए देश में कई आयोग बनाए गए, लेकिन आयोगों की महत्वपूर्ण संस्तुतियों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर सके। आज इन संस्तुतियों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हुआ होता तो आज समस्याएँ कम से कम दिखाई पड़तीं और उच्च शिक्षा का संकट न्यून होता। उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षक, विद्यार्थी, शासन-प्रशासन, आयोग, सरकारें, समाज के जागरूक लोगों को एक साथ मिलकर उच्च शिक्षा की चुनौतियों के समाधान के लिए आम सहमति बनानी होगी। उच्च शिक्षा के तंत्र से जुड़े सभी प्रमुख लोगों को उच्च शिक्षा के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिल-जुल कर प्रयास करना होगा तभी उच्च शिक्षा का संकट समाप्त होगा और हम उच्च शिक्षा की चुनौतियों का हल ढूँढ पाएँगे।

संदर्भ

कुमार, कृष्ण. 2008. पार्टनर्स इन एजुकेशन. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. समीक्षा ट्रस्ट पब्लिकेशन, मुंबई.

कोठारी, अतुल. *उच्च शिक्षा की दशा एवं दिशा*. नमन प्रकाशन, नयी दिल्ली.

नौरियाल एंड भल्ला. 2004. हायर एजुकेशन इन न्यू मिलेनियम द नीड फ़ॉर ए पैराडाइम शिफ़्ट. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन*. न्यूपा, नयी दिल्ली.

रज़ा, मुनीस. 1996. *शिक्षा और विकास के सामाजिक आयाम.* ग्रंथ शिल्पी, नयी दिल्ली.

रूहेला, एस. पी. और राजकुमार नायक. 2011. *इंडिया नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, टुडे एंड टूमारो.* नील कमल प्रकाशन, नयी दिल्ली.

विनोवा. 2011. *गीता प्रवचन.* सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

सिंह, बी.पी. और सुधा आहुजा. 2011. *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास.* आर. लाल बुक डिपो, मेरठ.